

जिला न्यायालय, बुलन्दशहर के पुस्तकालय में उपलब्ध पुरानी/अप्रचलित पुस्तकों एवं जर्नलों के विक्रय के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, बुलन्दशहर के पुस्तकालय में उपलब्ध पुरानी, अप्रचलित, फटी हुई, दीमकग्रस्त एवं उपयोग के अयोग्य पुस्तकों एवं जर्नलों का नियमानुसार विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त पुस्तकों एवं जर्नलों के विक्रय हेतु इच्छुक पंजीकृत/अधिकृत एजेंसियों से प्रति किलोग्राम दर के आधार पर सीलबन्द दर-प्रस्ताव (Sealed Quotations) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक एजेंसियाँ अपने दर-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 25.08.2026 को समय 04:00 बजे तक अध्यक्ष, विक्रय समिति, जिला न्यायालय, बुलन्दशहर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं।

प्राप्त सीलबन्द दर-प्रस्ताव निर्धारित तिथि एवं समय पर विक्रय समिति के समक्ष खोले जाएंगे। उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाली पात्र एजेंसी के पक्ष में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के नियम 465, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत निर्देशों एवं अन्य लागू नियमों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

दर-प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पहचान संबंधी अभिलेख एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विक्रय समिति को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी दर-प्रस्तावों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

 18/8/26
(मनोज कुमार सिंह-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अध्यक्ष, विक्रय समिति
जिला न्यायालय, बुलन्दशहर

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत, जिला न्यायालय, बुलन्दशहर स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु ।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जिला न्यायालय, बुलन्दशहर की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।